प्रेषक,

श्रम आयुक्त एवं निदेशक कारखाना, उत्तर प्रदेश,
जी0टी0 रोड, कानपुर।

सेवा में,

समस्त इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश/
समस्त कारखाना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या– 63-66 /श्र0शि0–2020 दिनांक 17/03/2020

विषय: **एडवाइजरी कोरोना वायरस COVID–2020 विषयक।**

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप विदित है कि कोरोना वायरस संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरन्तर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है व समीक्षा की जा रही है, परन्तु वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत इस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण हेतु निरन्तर कार्यवाही/अनुश्रवण करते रहना अति आवश्यक है। उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार द्वारा उपरोक्त परिस्थिति के दृष्टिगत एडवाइजरी जारी की गई है। इसी क्रम में कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण प्रबन्धन के अन्तर्गत कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु निजी इकाइयों एवं कार्यस्थलों में निम्न कार्यवाही आवश्यक है:–

1– यह सुनिश्चित करें कि इकाई साफ और स्वच्छ रहें। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की पूर्ण व्यवस्था करें।

2– इकाईयों में बैठकों या समारोहों का आयोजन स्थगित करें, सम्भव हो सके तो बैठकों के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग का उपयोग करें।

3– किसी भी कर्मकार को खांसी, जुकाम, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ होने पर तत्काल उनके इलाज की व्यवस्था करायें तथा ऐसे कर्मकारों को इकाइयों पर भी नहीं आने व सम्भव हो तो कर्मकारों को घर से काम करने की अनुमति दी जाये।

4– इकाईयों में कर्मकारों अभिवादन में हाथ ना मिलायें व अन्य गैर सम्पर्क तरीकों का उपयोग करें।

5– इकाईयों के सभी वाशरूम में साबुन, हैंड वाश और सैनीटाइजर रखवाना सुनिश्चित करें।

6– इकाईयों में बार–बार स्पर्श की गई सभी सतहो जैसे दरवाजों के कुंडे व अन्य स्थान जहां हाथ पहुँचने, छूने से संक्रमण का खतरा हो सकता है, उसकी नियमित सफाई/सैनिटाइजेशन करें।

7– समय–समय पर जिला प्रशासन, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई Guidelines का अनुपालन करें।

8–आवश्यकता होने पर निम्न हेल्पलाइन नम्बरों पर सम्पर्क करें:–

1–सेंट्रल हेल्पलाइन नम्बर–91–11–23978046
2–उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नम्बर–18001805145

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या– /श्र0शि0–2020 दिनांक /03/2020

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–प्रमुख सचिव श्रम, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2–समस्त अपर/उप श्रमायुक्त/उप निदेशक कारखाना क्षेत्रीय कार्यालयों को इस निर्देश के साथ कि स्वय के स्तर से अपने मण्डल के उद्योग संघों को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

3– समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

Scanned by CamScanner